

निवेदन
 18/12/18

15/10/18
 29/10/18

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसोलदार, सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

बीजासम वल्ड मलशासम जाट
 जियासी जौधेश्वर नगर
 मु. न. 14 सन 2018

किस्म मुकद्दमा - राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
26/9/18	<p>पटवारी हल्का <u>सड़ा</u> ने रिपोर्ट पेश कर मुचित विया कि उक्त अप्रार्थी ने सवत 2075 में मौजा <u>जौधेश्वर नगर</u> के खसरा नं० <u>23</u> रकबा <u>0-12 बीघा</u> किस्म भूमि <u>अ. भू. डौका</u> पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गेर सायल को तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक <u>15/10/2018</u> को वमुकाम <u>लिठाधरी</u> पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	
15/10/18	<p><u>पत्रावली</u> आज प्रस्तुत हुई और साफल्य उपस्थित और साफल्य अतिक्रमण दूर करने हेतु समझ चाहे है। ऊँ दीया जाकर <u>पत्रावली</u> आईका दिनांक 29/10/18 के पेश है।</p> <p style="text-align: right;"><u>तहसीलदार सिणधरी</u></p>	

RCMS
 2018/00025
 18/12/18


18/12/18

पत्रावली आज प्रस्तुत हुई। और सामान्य
मनुष्यस्थिते। पत्रावली एक उपास्थिते।
श्री बीजाराम द्वारा किसी प्रकार का
जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं
न ही कोई विधि सम्मत कोई इत्यादि
प्रस्तुत किया गया है। अतः श्री बीजाराम
को आतिथ्य चेषिते किया जाता है निर्णय
अलग से लिखा जाकर प्रस्तुत करे। निर्णय
सुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली
फैसल सुगर टैकर नंबर से कर टैकर
दफतर दारिज है।

म.
प.सडा

~~तहसीलदार सिणधरी~~

वर्ष 2018-19 के राजस्व लेखा पंजिका सं. 4 के
पष्ठ सं. 11 पर क्र.सं. 6 पर जुमाना/फसल
मिलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।


तहसील राजस्व कार
तहसील सिणधरा